भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-100
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

नौकरी छूटने की वजह से वापस घरों को पलायन

100. श्री सु॰ थिरुनवुक्कासरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में कोविड-19 महामारी फैलने से असंगठित क्षेत्र में कई लाख मजदूरों के नौकरी छूटने की वजह से वापस अपने घर पलायन करने की जानकारी है जिससे गरीब मजदूर वर्ग सड़क पर आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उक्त प्रवृत्ति को रोकने और श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं तथा इस अवधि के दौरान भारत में रोजगार की हानि भी देखी गई है। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा प्रवासी कामगारों की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अव-संरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो। इसमें देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

पीएमजीकेवाई के तहत, अनाज प्रदान करने के अतिरिक्त, लाभार्थियों के खातों में सीधे ही अनुग्रह-पूर्वक अनुदान भुगतान, कुछ प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु ईपीएफ अंशदान भी सरकार द्वारा किया गया जिससे कि उद्योग विशेषकर एममएसएमई क्षेत्र को सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, एमजी नरेगा के तहत वेतन को 182 रु. प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रु. किया गया है जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत भारत सरकार ने स्थानीय रोजगार अवसरों विशेषकर प्रवासी लौटने वालों को प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सरकार ने अवसंरचना लॉजिस्टिक्स, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य एवं खादय प्रसस्करण क्षेत्रों हेतु शासन एवं प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए उपायों की भी घोषणा की है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से उनका व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गारंटी मुक्त कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-112
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगार युवाओं की समस्याएं

112. कुमारी राम्या हरिदासः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्रीमती पूनम महाजनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण देश में बेरोजगार युवाओं की समस्याओं की जानकारी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने लोग बेरोजगार हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों विशेषकर केरल, महाराष्ट्र को कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने कोविड-19 संकट के कारण देश में रोजगार छूटने का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग) कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों का सामना करने के लिए पूर्णतया तैयार है सरकार अनेक कदम उठा रही है। आत्मनिर्भर भारत युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यावसायिक जनसांख्यिकी एवं मांग पर ध्यान केंद्रीत करता है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के निकट कार्य में सहायता के लिए कौशल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत से 6 राज्यो के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने तथा अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्या का सघन एवं संकेन्द्रित कार्यान्वयन शामिल हैं।

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

(घ) एवं (ङ): जी नहीं।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 183

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

पत्रकारों के वेतन भत्ते सहित कामकाजी स्थितियां

183. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री हेमन्त पाटिल:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पत्रकारों के वेतन, भत्तों आदि सहित कामकाजी स्थितियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देशभर में इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्ति और पत्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि, ईएसआई पेंशन योजना (एस) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ, श्रमजीवी पत्रकारों के नियोजन की शर्तें भी शामिल हैं ताकि श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार तथा विनियमन किया जा सके।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में कार्य के घंटों, अवकाश निर्धारण तथा वेतन की दरों में संशोधन, जिनमें वेतन बोर्ड का गठन भी शामिल है, के मुद्दों का समाधान किया गया है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में इस प्रकार स्थापित बोर्ड द्वारा अपनी सिफारिशें प्रदान करना तथा बोर्ड की

शक्तियों एवं कार्यवाही को परिभाषित करना भी उपबंधित है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को वेतन बोर्ड की सिफारिशों को प्रवर्तित करने की शक्तियां भी प्रदान करता है।

सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में विशेष प्रकोष्ठों का निर्माण, वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखना, मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना तथा वेतन बोर्डों की सिफारिशों के तीव्र एवं तत्काल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र को दुरुस्त रखना शामिल है। राज्यों द्वारा वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मंत्रालय में केंद्रीय स्तर पर एक अनुवीक्षण समिति है।

(ग) और (घ): निजी क्षेत्र के समाचार पत्र प्रतिष्ठान तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी इस अधिनियम के उपबंधों तथा इनके तहत निर्मित योजनाओं के अंतर्गत भविष्य निधि, पेंशन तथा निक्षेप संबद्ध बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के पात्र हैं। इसके अलावा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग और पत्रकार, जो 21000/- रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किए गए इकाइयों/ प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, वे अधिनियम के तहत कवर करने योग्य हैं। कवरेज के बाद, बीमित व्यक्ति अपनी पात्रता के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित लाभों का लाभ उठाने हेतु पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय पत्रकारों या उनके परिवारों को अत्यधिक कठिनाई या पत्रकारों की मृत्यु के कारण और उन पत्रकारों को भी जो स्थायी विकलांगता, बड़ी बीमारी और दुर्घटनाओं की हालत में गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होने के मामले में तत्काल आधार पर एक समय की अनुग्रह राहत प्रदान करने हेतु "पत्रकार कल्याण योजना" लागू करता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 190

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

भविष्य निधि से निकाली गई कुल राशि

190. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्रयुत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण श्रमिकों की खराब हालत के बारे में जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा सहायता प्रदान कर की गई पहल का ब्यौरा क्या है;
(ग) आज की तिथि तक कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से राज्य-वार कुल कितनी राशि निकाली गई है;
(घ) देश में और अधिक रोजगार सृजित करके श्रमिकों की सहायता हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): वैश्विक महामारी, कोविड - 19 के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान के फलस्वरूप श्रमिकों द्वारा सामना की रही कठिनाइयों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर भारत के भाग के रूप में कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य के साथ - साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारत सरकार द्वारा वेसे सभी प्रतिष्ठानों, जिनमें 100 तक कर्मचारी कार्यरत हैं और ऐसे कर्मचारियों में से 90% कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000/- रूपये से कम है, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 तक छः वेतन

जारी–2/--

माहों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12%अंशदान अर्थात कुल 24% अंशदान का भुगतान; (ii) मई, जून और जुलाई, 2020 के वेतन माहों के लिए भविष्य निधि अंशदान को वेतन के 12% से घटाकर 10% करना ; (iii) ईपीएफ योजना, 1952 में संशोधन करके भविष्य निधि से कोविड अग्रिम जिसे वापस नहीं किया जाना है; (iv) विवरणियां फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाना;(v) कामगारों/ कर्मचारियों के परेशानी में होने संबंधी कॉलों का तत्परता पूर्वक देने और उन्हें अस्थायी आश्रय गृहों में सहायता करने के लिए भी परामर्शिका जारी करना; (vi) भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) की उप कर निधि का ग कोविड- 19 के प्रकोप के कारण प्रभावित सन्निर्माण कामकारों के बैंक खाते में प्रयाप्त धनराशि अंतरित करने के लिए उपयोग करना; (vii) कर्मचारियों और कामगारों को बर्खास्त न करके और उनका वेतन नहीं काटकर सहायता करना; और (viii) कोविड-19 को फेलने से रोकने के लिए निवारक उपाय करना।

(ग): 25.03.2020 से 31.08.2020 तक वैश्विक महामारी, कोविड - 19 के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से निकाली गई धनराशि की कुल मात्रा के राज्यवार ब्योरे को दर्शाता विवरण अनुबंध - क पर दिया गया है।

(घ): सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे - अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, भारी निवेश वाली विभिन्न प्रयोजनाओं की फास्ट ट्रेकिंग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंडित दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं पर सर्वजनिक व्यय को बढ़ावा देना।

(ड.): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

* ****

अनुबंध क

भविष्य निधि से निकाली गई कुल राशि के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता, श्री बैन्नी बेहनन, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री बिद्रयुत बरन महतो और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे जाने वाले आतारांकित प्रश्न190 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ - राज्य क्षेत्र का नाम	**25.03.2020 से 31.08.2020 तक निकाली गई धनराशि (करोड़ रूपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	1,232.48
2	असम और अन्य उत्तर पूर्व के राज्य	227.15
3	बिहार	309.95
4	चंडीगढ़	506.73
5	छत्तीसगढ	402.59
6	दिल्ली	2,940.97
7	गोवा	184.27
8	गुजरात (दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव सहित)	2,115.17
9	हरियाणा	2,220.82
10	हिमाचल प्रदेश	267.55
11	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	0.44
12	झारखंड	294.03
13	कर्नाटक	5,743.96
14	केरल (लक्षदीव सहित)	1,288.09
15	मध्य प्रदेश	941.30
16	महाराष्ट्र	7,837.85
17	ओडिशा	512.64
18	पंजाब	642.93
19	राजस्थान	868.40
20	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	4,984.51
21	तेलंगाना	2,619.39
22	उत्तर प्रदेश	1,613.03
23	उत्तराखंड	398.79
24	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित)	1,249.90
कुल		**39,402.94**

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 192
(जिसका उत्तर सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज

192. डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधएं प्राप्त करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान वे प्रभावित नहीं हों, इसके लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं और उक्त पैकेज के तहत कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है और इस पैकेज से लाभान्वित होने वाले लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं कि वित्तीय सहायता समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के कमजोर/निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों को कोविड-19 महामारी की अवधि् के दौरान सस्ती दरों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती रहें, सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ने कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में सहायता के लिए गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रु. की राहत प्रदान करने की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, नकद अंतरण के मामले में तथा अय मामलों में उचित सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त, आर्थिक मामलों के सचिव तथा मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में गठित, अर्थव्यवस्था और कल्याण पर अधिकार प्राप्त समूह इस पैकेज के कार्यान्वयन की देख-रेख करता है। पैकेज के विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध-I पर है। लाभार्थियों का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण तथा वितरित राशि अनुबंध-II (क) तथा II(ख)पर दी गई है।

(ङ) कुल 68.820 करोड़ रु. 7.9.2020 तक पीएमजीकेपी के विभिन्न घटकों के तहत पात्र व्यक्तियों को नकद अंतरण के रूप में दिये गए हैं। अब तक एनएफएसए के तहत करीब 75 करोड़ करोड़ लाभार्थियों को 178.85 लाख एमटी अनाज तथा 6.82 लाख एमटी दालें निःशुल्क वितरित की गई हैं तथा यह योजना नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। सरकार, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों के अनुसार, गरीब तथा कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़

व्यक्तियों) को लगभग 10.74 करोड़ रु. दूसरी तथा तृतीयक श्रेणी की चिकित्सीय देखभाल हेतु 5 लाख रु. प्रति परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) लागू कर रही है। कोविड-19 की जांच तथा उपचार हेतु एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों को प्रभावी रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए "कोविड-19 का परीक्षण" तथा " कोविड-19 का उपचार" पैकेज अधिसूचित किए गए हैं। भारत रिजर्व बैंक ने भी सभी टर्म लोन पुनर्भुगतानों जैसे ऑटो, होम पर्सनल लोन ईएमआई इत्यादि पर 1 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक तीन माह के ईएमआई अवकाश की घोषणा की थी, जिसे आगे 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, आत्मनिर्भर पैकेज, जिसकी घोषणा 14.05.2020 को की गई थी, के अंतर्गत 2 माह के लिए प्रवासियों हेतु निःशुल्क खाद्य अनाज आपूर्ति की सुविधा भी बढ़ा दी गई थी।

*****

दिनांक 14.09.2020 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (क) से (घ) तक की उत्तर से संदर्भित विवरण।

पीएमजीकेवाई का ब्यौरा

1. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना।

लगभग 22.21 लाख लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपये की व्यापक दुर्घटना कवर प्रदान करने हेतु दिनांक 30.03.2020 से कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक बीमा योजना शुरू की गई थी जिसमें वह सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मियों जिन्हें कोविड-19 के मरीजों सीधे संपर्क तथा देखरेख में रहना पड़ा और जो इससे प्रभावित होने से खतरे में पड़ सकते हैं शामिल हैं। प्रारंभ में यह योजना दिनांक 30.03.2020 से 90 दिनों के लिए थी और अब इसे अगले 90 दिनों तक बढ़ाया गया है, अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण निजी अस्पताल स्टाफ/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा/दैनिक मजदूरी/तदर्थ/राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आईआईएमएस एवं आईएनआई के स्वायत्त अस्पतालों, केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों को कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये मामले भी योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

।।. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

इस योजना के अंतर्गत तीन माह अर्थात अप्रैल से जून, 2020 तक की अवधि के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता गृहस्थी) के अंतर्गत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रतिव्यक्ति प्रति माह के दर से @ 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन नि:शुल्क प्रदान किया गया जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत आने वाले लोग भी शामिल हैं। लगभग 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 119.32 एलएमटी की खाद्यान्न आवंटित किया गया था जिसमें 46,061 करोड़ रुपये की वित्तीय निहितार्थ शामिल है। लगभग 81.09 करोड़ लाभार्थियों के लिए 2020.749 एलएमटी खाद्यान्न की अतिरिक्त आवंटन सहित इस योजना को नवम्बर 2020 (5 माह) तक बढ़ाया गया है। जिसमें 76062.11 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी शामिल है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्राथमिकता के अनुसार 3 महीने के लिए प्रति परिवार को @1 किलोग्राम दलहन नि.शुल्क प्रदान किया गया था। इस योजना को नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है।

।।।. किसानों को लाभ:

वर्ष 2020-21 में बकाया 2000 रुपये की पहली किस्त को फ्रंटलोड किया गया था और अप्रैल, 2020 में पीएम किसान योजना के अंतर्गत उसका भुगतान किया गया। जिसमें 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

iv. नकद अंतरण

क. गरीबों का सहायता: कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को अगले तीन महीने के लिए प्रतिमाह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई।

ख. गैस सिलेण्डर: दिनांक 01.04.2020 से 13,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित पीएमजीकेपी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को तीन महीने के लिए निशुल्क एलपीजी सिलेण्डर प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई थी। सिलेण्डर खरीदने के लिए नकद अग्रिम लाभार्थियों के

बैंक खाते में अंतरित किया गया था। इस योजना को 30 सितंबर,2020 तक उन लाभार्थियों के लिए बढ़ा दी गई है जिन्हें खाली सिलेण्डर भरने के लिए अग्रिम राशि दी गई है; परंतु 30.06.2020 तक नि:शुल्क सिलेण्डर खरीद नहीं पाए हैं। दिनांक 06.09.2020 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ओएमसी ने पीएमयूवाई लाभार्थियों को 1321.59 लाख रिफिल वितरित किए हैं।

ग. संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वालों को सहायता:
100 से कम कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रतिमाह 15000 से कम कमाने वाले, वेतन पाने वाले को उनके रोजगार में व्यवधान को कम करने के लिए अगले तीन माह के लिए उनके भविष्य निधि खाते में मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत प्रदान किया गया है। इस योजना को अगले तीन महीने अर्थात अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है।

घ. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) , विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को सहायता: लगभग 3 करोड़ वृद्धि विधवाओं तथा दिव्यांग श्रेणी के लोगों को तीन महीने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्रदान किया गया।

v. मनरेगा

1 अप्रैल, 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस मजदूरी वृद्धि से यह अनुमान किया गया था इससे एक कर्मचारी को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।

v. स्वयं सहायता समूह:

63 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिला संगठित के लिए सहायता नि:शुल्क ऋण की सीमा 10 से 20 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को मदद मिली।

Vi. पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक:

क. संगठित क्षेत्र: वैश्विक महामारी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन किया गया ताकि उनके खाते से राशि की 75 प्रतिशत गैर-वापसी अग्रिम अथवा 3 महीने का वेतन जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी जा सके। ईपीएफ के तहत पंजीकृत 4 करोड़ श्रमिकों के परिवार इस विंडों का लाभ उठा सकते हैं।

ख. भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारी कल्याण निधि: केंद्र सरकार अधिनियम के अंतर्गत भवन तथा अन्य निर्माण से संबंधित कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि बनाया गया है। इस निधि में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत कर्मचारी हैं। राज्य सरकारों को आर्थिक अवरोध से बचने के लिए इन कर्मचारियों की सहायता तथा समर्थन के लिए इस निधि का उपयोग हेतु निदेश दिया गया था।

ग. जिला खनिज निधि: राज्य सरकारों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के साथ-साथ इस वैश्विक महामारी से प्रभावित मरीजों की ईलाज से संबंधित चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग तथा अन्य आवश्यकताओं के पूरक और संबंधित सुविधाओं के लिए जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के तहत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

अनुबंद-II (क)

14.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न नं. **192** के भाग का (क) से (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

		कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2017)	लाभार्थियों को खाद्यान्न का कुल वितरण (मीट्रिक में) अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	दलहन- एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (मीट्रिक टन में) द्वारा वितरित दलहन की मात्रा- अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	सौंपे गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई अप्रैल '20	सौंपे गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई मई '20	सौंपे गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई जून '20
सं.	राज्य	दावा खारिज कर दिया	भुगतान की गई राशि	कुल (एएवाई एण्ड पीएचएच)						
1.	अंडमान एवं निकोवार दीव समूह			0.61	1342	0.16	49.05	9,591	7,294	4,533
2.	आन्ध्र प्रदेश	3	1500000	268.23	635928.54	90.28	45018.62	2,72,179	2,15,405	1,74,373
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	500000	8.21	17215.42	1.77	571.561	28,831	24,731	16,600
4.	असम	2	1000000	251.53	506098.035	57.96	19614.09	14,44,011	15,34,863	10,39,012
5.	बिहार	1	500000	857.12	1727839.033	168.85	54228.87	49,67,319	45,10,211	39,49,870
6.	चंडीगढ़			2.75	3793.04	0.64	228.43	93	95	77

7.	छत्तीसगढ़			200.77	506390.755	51.5	22616.74	11,92,348	9,16,589	7,32,245
8.	दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव			1.73- D & NH- KIND 0.36 – D& NH- CASH DAMAN & DIU- 0.76	6312.902	0.65	391.44	8,137	5,029	3,871
9.	दिल्ली	1	500000	72.73	166963.0656	17.54	6033.64	77,853	70,885	62,986
10.	गोवा			5.32	13011.507	1.43	644.103	806	519	569
11.	गुजरात	8	4000000	382.54	801111.37	65.63	20090.95	15,38,689	12,28,084	12,18,267
12.	हरियाणा			126.49	285128.669	27	10916	5,53,359	5,40,807	3,86,756
13.	हिमाचल प्रदेश			28.64	63592.905	6.84	3276.5	1,11,235	1,07,648	77,815
14.	जम्मू एवं कश्मीर			72.05	169195.6	16.45	8984.09	6,22,988	7,01,755	3,85,158
15.	झारखंड			263.70	515408.688	57.12	24040.22	15,87,777	13,94,718	10,88,969
16.	कर्नाटक	3	1500000	401.93	977417.15	127.23	38168.19	18,66,059	15,00,307	13,86,662
17.	केरल	3	1500000	154.80	366701.602	37.38	12609.49	1,77,104	1,39,817	1,24,475
18.	लद्दाख			1.44	2505	0.29	87.65	7,561	5,662	4,817
19.	लक्ष्यदीप			0.22	453.12	0.05156	20.18	172	115	104
20.	मध्य प्रदेश	1	500000	546.42	1062037.658	116.85	42791.4	30,77,273	27,68,146	24,12,767
21.	महाराष्ट्र	12	6000000	700.17	1535041.139	167.05	40024.13	22,62,807	23,13,521	21,96,232
22.	मणिपुर			24.57	61346.86	5.88	2131.416	68,061	89,769	84,433
23.	मेघालय			21.46	51401	4.22	1722.802	43,323	57,410	39,297
24.	मिजोरम			6.68	15351.881	1.55	807.261	24,281	15,138	17,885
25.	नागालैंड			14.05	33585.086	2.85	1660.849	21,397	30,801	20,408
26.	उड़ीसा			323.60	748141.347	92.85	40335.4	26,58,543	23,17,299	19,04,076
27.	पुद्दुचेरी			6.28	9142.06	1.79	535.5	11,075	10,845	8,118
28.	पंजाब	1	500000	141.45	199011.3	35.96	10643.24	8,93,383	8,59,735	7,03,453
29.	राजस्थान			446.62	1159894.144	111.85	36331.41	34,68,116	27,98,019	24,29,451
30.	सिक्किम			3.79	6852.625	0.94	317.964	8,311	8,499	6,376
31.	तमिलनाडू	2	1000000	357.34	829049.154	111.08	33323.76	21,47,315	16,80,938	14,47,941
32.	तेलंगाना	2	1000000	191.62	481824.113	53.29	14144.38	6,05,719	4,96,386	3,54,565
33.	त्रिपुरा			24.83	62051.427	9.2	1942.245	1,33,412	1,16,650	1,16,781
34.	उत्तर प्रदेश	5	2500000	1520.59	3498398.415	352.45	139634.3	93,87,841	81,09,525	72,48,732
35.	उत्तराखंड			61.96	145939.01	13.46	5544.27	2,74,286	2,35,709	2,12,070
36.	पश्चिम बंगाल	1	500000	601.84	1219345.34	145.29	42058	57,51,508	51,34,833	47,49,938
	कुल	**50**	**25,000,000**	**8095.19**	17884820.96	**1,955**	681538.2	**4,53,02,763**	**3,99,47,757**	**3,46,09,682**

*****

अनुबंध-II (ख)

14.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न नं.192 के भाग का (क) से (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

		पीएम किसान		पीएमजेडीवाई				राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी		इमारत एवं निर्माण निधि बीओसीडब्ल्यू			ईपीएफओ आहरण		ईपीएफ योगदान 24 प्रतिशत							डीएमएफ
सं.	राज्य	लाभार्थियों की सं.	राशि (लाख रु. में)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (अप्रैल)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (मई)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (जून)	अप्रैल से जून तक कुल हस्तांतरित राशि	कुल लाभार्थियों की सं. अप्रैल और मई	500 रु. की दी गई राशि (लाख में, अप्रैल और मई)	पहचाने गए लाभार्थी (पहली किस्त)	पहचाने गए लाभार्थी (दूसरी किस्त)	कुल राशि (लाख में)	लाभार्थी	राशि (लाख में)	लाभार्थी (मार्च)	लाभार्थी (अप्रैल)	लाभार्थी (मई)	लाभार्थी (जून)	लाभार्थी जुलाई	लाभार्थी (अगस्त)	कुल अंतरित राशि लाख में मार्च से अगस्त	कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों पर व्यय राशि (करोड़ में)
1.	अंडमान एवं निकोबार दीव समूह	10677	213.54	23064	29457	29449	409.85	5928	59.28	11014	5375	491.67	484	161.77281	1841	1749	1643	1488	913	90	159.97	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	4695820	93916.4	6013565	7191392	7190292	101976.245	932661	9326.61	1967484	0	19674.84	108567	30485.43907	153300	158283	151372	146792	133535	7318	11325.18	100.43
3.	अरूणाचल प्रदेश	66323	1326.46	180119	187968	187888	2779.875	34139	341.39	3000	0	60		0							0.00	-
4.	असम	1861715	37234.3	9534385	9649421	9648441	144161.235	840984	8409.84	270000	0	2700	11203	2777.23109	7160	7499	7370	6763	5619	477	510.57	0.65
5.	बिहार	5899824	117996.48	23315732	24380254	24372302	360341.44	3664811	36648.11	0	0	0	40567	7602.82911	52951	54805	53798	51197	44947	2333	3993.25	0
6.	चंडीगढ़	429	8.58	110537	111245	111152	1664.67	3415	34.15	6670	0	400.2	39886	8632.31454	23322	20897	22073	21409	20084	1182	1892.67	-
7.	छत्तीसगढ़	2167441	43348.82	7857012	8062757	8062722	119912.455	852275	8522.75	0	0	0	46119	8660.04503	76268	78444	75723	72665	68033	3206	5995.94	4.36
8.	दादरा एवं नागर हवेली	10150	203	52817	53691	53681	800.945	9588	95.88	0	0	0		0							0.00	
9.	दमन एवं दीव	3381	67.62	17387	17475	17473	261.675	1376	13.76	0	0	0		0							0.00	-
10.	दिल्ली	12075	241.5	2030271	2036383	2036535	30515.945	156436	1564.36	39600	39600	3960	295243	73596.16266	39830	36793	36868	34673	30943	1233	3530.06	-
11.	गोवा	7854	157.08	69987	70389	70365	1053.705	2061	20.61	5117	0	307.02	12169	3107.29107	17876	15988	15259	14491	13792	381	1318.55	22
12.	गुजरात	4685062	93701.24	7108005	7266513	7265305	108199.115	688953	6889.53	483196	0	4831.96	185208	37273.44252	243172	251261	244516	242384	230145	22558	18731.51	13.08
13.	हरियाणा	1514497	30289.94	3416299	3568702	3566923	52759.62	327269	3272.69	350621	0	17531.05	209604	53039.97756	76918	64925	70265	67210	63189	2943	5957.47	0
14.	हिमाचल प्रदेश	870609	17412.18	584184	667491	667262	9594.685	111863	1118.63	120265	126039	4926.08	17216	3507.58231	43424	41484	42402	42550	40546	1477	3308.08	0.43
15.	जम्मू एण्ड काश्मीर	920451	18409.02	1049256	1064015	1062263	15877.67	143289	1432.89	155975	0	4679.25	187	17.82763	23836	21959	21844	21586	19224	2594	1742.92	-
			0				0	(लद्दाख को सम्मिलित करते हुए						0							0.00	-
16.	झारखंड़	1231912	24638.24	7227042	7440551	7437612	110526.025	1288850	12888.5	0	0	0	29000	5142.64934	87786	86091	83575	83130	78118	4699	7158.94	9.66
17.	कर्नाटक	4839093	96781.86	7987088	8035479	8033726	120281.465	1398410	13984.1	1362438	0	68121.9	452484	153845.1508	281634	273165	265267	257403	232202	12724	24206.08	62.13
18.	केरल	2716844	54336.88	2413289	2607463	2606513	38136.325	688329	6883.29	454124	0	4541.24	101119	31103.7267	110118	91211	99799	104292	98891	1920	8671.58	0
19.	लद्दाख	0	0	9951	10027	10392	151.85	जम्मू कश्मीर में सम्मिलित है।		जम्मू कश्मीर में सम्मिलित है।	जम्मू कश्मीर में सम्मिलित है।	0	16	1.75331	177	143	146	114	105	0	17.89	-
20.	लक्ष्यदीप	0	0	2867	2922	2920	43.545	324	3.24	520	0	32.76		0							0.00	-
21.	मध्य प्रदेश	6812020	136240.4	16622091	16786519	16783417	250960.135	2205963	22059.63	891850	0	17837	90993	18149.30407	158162	144857	134320	135658	129638	7365	10511.56	5.1
22.	महाराष्ट्र	8632718	172654.36	12947062	13152844	13151473	196256.895	1168385	11683.85	894408	0	17888.16	667817	187350.5145	418770	404866	380529	372293	346133	16493	31148.58	45.86
23.	मणिपुर	283457	5669.14	504169	523814	523622	7758.025	61972	619.72	52605	0	526.05		0							0.00	-
24.	मेघालय	115638	2312.76	268908	318894	318797	4532.995	54127	541.27	24730	0	1236.5		0	50025	54058	52551	49333	45249	5711	3315.59	-
25.	मिजोरम	69425	1388.5	58176	153791	153756	1828.615	27538	275.38	51451	0	1543.53		0							0.00	-
26.	नागालैंड	181008	3620.16	157792	167255	167204	2461.255	49210	492.1	19046	0	380.92		0							0.00	-
27.	उड़ीसा	2003185	40063.7	8121020	8520484	8518976	125802.4	2027022	20270.22	2083288	0	31249.32	40666	8771.32209	129713	133169	132889	130113	120833	6775	9822.89	61.34
28.	पुदुचेरी	9715	194.3	83926	88559	88506	1304.955	28757	287.57	0	0	0	0	0	16110	13895	14074	14095	13358	632	950.29	-
29.	पंजाब	1752498	35049.96	3322186	3375108	3373363	50353.285	140404	1404.04	289237	0	17354.22	49472	9665.65577	66008	55952	63477	60461	55427	5106	4779.19	0.65
30.	राजस्थान	5164391	103287.82	15613962	15849421	15845503	236544.43	987781	9877.81	2230000	0	55750	83903	15761.46431	120047	113479	111154	108908	101109	6315	7649.36	15.08
31.	सिक्किम	0	0	42552	43915	43908	651.875	18332	183.32	7836	0	156.72		0							0.00	
32.	तमिलनाडू	3559533	71190.66	6075989	6138375	6136949	91756.565	1814700	18147	1370601	0	27412.02	583161	158265.1997	507424	458395	476308	471998	442011	23263	32325.05	13.42
33.	तेलंगाना	3331468	66629.36	5260800	5154930	5153020	77843.75	665956	6659.56	830324	0	12454.86	241181	77656.90355	156113	156685	152357	148451	136995	6883	10159.07	0
34.	त्रिपुरा	190441	3808.82	431770	444368	444316	6602.27	138473	1384.73	39082	0	1172.46	1137	285.8338							0.00	-
35.	उत्तर प्रदेश	17675849	353516.98	31813530	32440630	32431427	483427.935	5257390	52573.9	1821520	1695490	35170.1	164511	33390.63687	190548	188671	189660	187867	177736	12618	14786.99	0.22
36.	उत्तराखंड	674688	13493.76	1267372	1335177	1335873	19692.11	215109	2151.09	228423	228423	4568.46	46150	7975.9936	38032	36608	36725	36632	34787	1794	2958.71	0.02
37.	पश्चिम बंगाल	0	0	18995377	19349032	19341332	288428.705	2132959	21329.59	2198349	0	21983.49	86684	18083.46987	329406	321645	332165	337058	317556	18739	20675.05	-
	कुल	**89454616**	**1789092.32**	**206500000**	**206296711**	**206244658**	**3095206.845**	**28145039**	**281450.39**	**18262774**	**2094927**	**378941.78**	**3604747**	**954311.4937**	**3419971**	**3286977**	**3268129**	**3221014**	**3001118**	**176829**	**247602.98**	**354.42**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 221

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

कम मजदूरी अर्जित करने वाले

221. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ के अंतर्गत 74 प्रतिशत दावेदार कम मजदूरी अर्जित वाले या 15000 रुपये प्रति महीने से कम कमाने वाले हैं;
(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उनके खातों का समय पर निपटान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी हां। दावेदारों का ब्यौरा, जो 15000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं अनुबंध क पर है।

(ग): सरकार ने दिनांक 27.03.2020 की अधिसूचना संख्या जी एस आर 225 (ई) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 68 एल के तहत सम्मिलित उप-पैरा (3) में महामारी या वैश्विक महामारी की स्थिति में ईपीएफ सदस्यों को गैर-वापसी योग्य अग्रिम राशि जो उनकी तीन महीने की मूल मजदूरी और महंगाई भत्ते से अधिक न हो या सदस्य के ईपीएफ खाते में राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान करने का प्रावधान किया है।

अभिदाताओं को ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई थी और ईपीएफओ की सेवाओं को भी भारत सरकार के उमंग ऐपलीकेशन के माध्यम से एकीकृत कर पेश किया गया है। अभिदाताओं को संपूर्ण भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली (एनईएफटी) के माध्यम से किया जाता है।

* *****

अनुबंध-'क'

कम मजदूरी अर्जित करने वाले के संबंध में श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ: श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी: द्वारा दिनांक 14.9.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 221 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	कुल दावों का निपटान	14,999 रूपये तक के वेतन के दावों का निपटान
1	आंध्र प्रदेश	312,457	250,802
2	असम और अन्य उत्तर पूर्व के राज्य	46,862	36,008
3	बिहार	112,504	95,373
4	चंडीगढ़	126,958	103,813
5	छत्तीसगढ	134,134	116,915
6	दिल्ली	888,874	682,361
7	गोवा	40,545	33,681
8	गुजरात (दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव सहित)	642,259	549,759
9	हरियाणा	666,122	551,117
10	हिमाचल प्रदेश	71,751	62,028
11	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	416	309
12	झारखंड	104,632	91,579
13	कर्नाटक	1,297,003	950,056
14	केरल (लक्षद्वीप सहित)	263,012	190,626
15	मध्य प्रदेश	294,653	255,605
16	महाराष्ट्र	1,825,601	1,369,050
17	ओडिशा	136,016	107,466
18	पंजाब	188,230	166,923
19	राजस्थान	272,464	236,350
20	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	1,387,883	1,070,194
21	तेलंगाना	620,450	445,594
22	उत्तर प्रदेश	508,222	428,678
23	उत्तराखंड	167,282	149,484
24	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप सहित)	296,721	247,964
कुल		10,405,051	8,191, 735

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 646
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक पैनल

646. श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों• और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक पैनलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त में से कितने पैनलों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है ;

(ग) सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) शेष पैनलों द्वारा किस समय तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1162

शनिवार 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

कामगारों के लिए पैकेज

1162. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसे कामगारों के लिए एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की योजना बना रही है जो अपने निजी नियोक्ताओं की दया पर निर्भर हैं और इनमें से अधिकांश कोरोना संक्रमण के बाद बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह के पैकेज की प्रविधि क्या है और इसे आरंभ करने की रूपरेखा क्या है क्योंकि इसके लाभार्थियों की संख्या हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा होगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अटल बीमित व्यक्ति योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति (आईपी) जो बेरोजगार हो गए हैं, को 90 दिनों तक के लिए नकद प्रतिकर के रूप में राहत प्रदान करता है, बशर्ते कि वे दो वर्ष की बीमायोग्य रोज़गार पूरा किया हो और लगातार चार अंशदान अवधि में से प्रत्येक में 78 दिनों से अधिक का अंशदान किया हो।

कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बीमित व्यक्ति को राहत देने के लिए, ईएसआईसी ने लाभ की परिमाण में वृद्धि की है और इस योजना की पात्रता की शर्त को 24.03.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि हेतु छुट दी है:-

1. पूर्व में प्रति दिन अर्जित औसतन आय के 25% की तुलना में बेरोज़गारी के अधिकतम 90 दिनों तक भुगतान किए जाने वाले औसतन प्रति दिन अर्जित आय का 50% की सीमा तक राहत।

2. बीमित व्यक्ति अपनी बेरोजगारी से पूर्व दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से पूर्व तत्काल अंशदान की अवधि में 78 दिनों से अधिक अंशदान किया हो और बेरोजगारी से पूर्व दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधि में से एक में न्यूनतम 78

जारी---2/-

3. दिन का अंशदान किया हो। पूर्व में इस योजना के तहत राहत पाने के लिए बीमित व्यक्ति को बेरोजगार होने से पूर्व 4 अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान किया हो ।

4. दावा बेरोजगारी की तारीख के 30 दिन बाद देय होगा जैसा कि पूर्व में 90 दिन हुआ करता था।

राहत हेतु दावा www.esic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है और बीमित व्यक्ति द्वारा विधिवत रुप से भरा निर्धारित दावा प्रपत्र सीधे शाखा कार्यालय भेजा जा सकता है। दी गई छूट दिनांक 11.09.2020 को अधिसूचित कर दी गई है।

इसके अलावा, भारत के कार्यबल पर कोविड - 19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर भारत के भाग के रूप में कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारत सरकार द्वारा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों, जिनमें 100 तक कर्मचारी कार्यरत हैं और ऐसे कर्मचारियों में से 90% कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000/- रूपये से कम है, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 तक छः वेतन माहों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% अंशदान अर्थात कुल 24%अंशदान का भुगतान;

(ii) मई, जून और जुलाई, 2020 के वेतन माहों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान को वेतन के 12% से घटाकर 10% करना ;

(iii) ईपीएफ योजना, 1952 में संशोधन करके भविष्य निधि से कोविड अग्रिम जिसे वापस नहीं किया जाना है; आदिनांक, ईपीएफओ के सदस्यों द्वारा लगभग 39,000/- करोड़ रुपये की निकासी की गई है;

(iv) विवरणियां फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाना;

(v) कामगारों/कर्मचारियों के परेशानी में होने संबंधी कॉलों को तत्परतापूर्वक सुनने और उन्हें अस्थायी आश्रय गृहों में जाने हेतु मार्गदर्शन करने के लिए भी परामर्शिका जारी करना;

(vi) भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) उपकर निधि का कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रभावित सन्निर्माण कामगारों के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि अंतरित करने के लिए उपयोग करना;

(vii) कामगारों को बर्खास्त न करने और उनका वेतन नहीं काटने के लिए नियोक्ताओं को परामर्श देना।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1182
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

1182. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत चार वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में 'प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत लाभान्वित हुए बेरोजगार नागरिकों की संख्या कितनी है;
(ख) रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

पीएमआरपीवाई के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में लभान्वित श्रमिकों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

वित्तीय वर्ष	लभान्वित कर्मचारियों की संख्या
2016-17	**3678**
2017-18	**530166**
2018-19	**1917387**
2019-2020	**1089541**

रत्नगिरी एवं सिंधुदुर्ग जिलों सहित महाराष्ट्र राज्य के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्ष हेतु जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में सलंग्न है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 19-09-2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1182 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

महाराष्ट्र का जिला-वार विवरण - पीएमआरपीवाई 2017-18			
राज्य	जिला	लाभान्वित प्रतिष्ठान	लाभान्वित कर्मचारियों
महाराष्ट्र	अहमदनगर	122	5536
महाराष्ट्र	अकोला	16	257
महाराष्ट्र	अमरावती	15	983
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	293	13692
महाराष्ट्र	भंडारा	5	221
महाराष्ट्र	बिड	13	507
महाराष्ट्र	बुलढाणा	17	438
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	26	369
महाराष्ट्र	धुले	20	901
महाराष्ट्र	गडचिरोली	3	46
महाराष्ट्र	गोंदिया जिला	3	45
महाराष्ट्र	हिंगोली	1	2
महाराष्ट्र	जलगांव	38	4912
महाराष्ट्र	जालना	6	173
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	175	7928
महाराष्ट्र	लातूर	8	117
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	3	1679
महाराष्ट्र	मुंबई शहर	595	108961
महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर	740	222247
महाराष्ट्र	नागपुर	144	5121
महाराष्ट्र	नांदेड	10	95
महाराष्ट्र	नासिक	331	12010
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	2	99
महाराष्ट्र	पालघर	77	1430
महाराष्ट्र	परभनी	5	423
महाराष्ट्र	पुणे	783	76774
महाराष्ट्र	रायगढ़	91	2707
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	7	116
महाराष्ट्र	सांगली	25	286
महाराष्ट्र	सतारा	61	2108
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	2	35
महाराष्ट्र	सोलापुर	28	441
महाराष्ट्र	ठाणे	832	57996
महाराष्ट्र	वर्धा	10	746
महाराष्ट्र	वाशिम	1	24
महाराष्ट्र	यवतमाल	15	741
योग		4523	530166

(क) महाराष्ट्र का लिए जिला-वार विवरण - पीएमआरपीवाई 2018-19			
राज्य	जिला	लाभान्वित प्रतिष्ठान	लाभान्वित कर्मचारियों
महाराष्ट्र	जिला	357	9594
महाराष्ट्र	अहमदनगर	39	878
महाराष्ट्र	अकोला	52	3590
महाराष्ट्र	अमरावती	727	56214
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	51	1107
महाराष्ट्र	भंडारा	47	1636
महाराष्ट्र	बिड	40	1179
महाराष्ट्र	बुलढाणा	237	5026
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	81	3375
महाराष्ट्र	धुले	16	233
महाराष्ट्र	गडचिरोली	20	336
महाराष्ट्र	गोंदिया जिला	7	155
महाराष्ट्र	हिंगोली	113	16556
महाराष्ट्र	जलगांव	43	2480
महाराष्ट्र	जालना	661	26378
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	34	903
महाराष्ट्र	लातूर	5	6860
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1759	346024
महाराष्ट्र	मुंबई शहर	2062	735038
महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर	724	34775
महाराष्ट्र	नागपुर	54	2029
महाराष्ट्र	नांदेड	8	174
महाराष्ट्र	नासिक	963	49973
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	21	643
महाराष्ट्र	पालघर	356	10307
महाराष्ट्र	परभनी	60	1827
महाराष्ट्र	पुणे	3514	335469
महाराष्ट्र	रायगढ़	472	17680
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	109	2394
महाराष्ट्र	सांगली	137	3042
महाराष्ट्र	सतारा	236	8245
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	18	763
महाराष्ट्र	सोलापुर	246	5620
महाराष्ट्र	ठाणे	2709	221706
महाराष्ट्र	वर्धा	60	2663
महाराष्ट्र	वाशिम	3	69
महाराष्ट्र	यवतमाल	43	2446
योग		**16084**	**1917387**

(ख) महाराष्ट्र का लिए जिला-वार विवरण - पीएमआरपीवाई 2019-20			
राज्य	जिला	लाभान्वित प्रतिष्ठान	लाभान्वित कर्मचारियों
महाराष्ट्र	जिला	363	7380
महाराष्ट्र	अहमदनगर	36	669
महाराष्ट्र	अकोला	51	3063
महाराष्ट्र	अमरावती	693	28512
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	49	833
महाराष्ट्र	भंडारा	43	1252
महाराष्ट्र	बिड	41	1056
महाराष्ट्र	बुलढाणा	213	3793
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	81	2379
महाराष्ट्र	धुले	19	262
महाराष्ट्र	गडचिरोली	19	245
महाराष्ट्र	गोंदिया जिला	8	58
महाराष्ट्र	हिंगोली	124	8862
महाराष्ट्र	जलगांव	46	2069
महाराष्ट्र	जालना	663	17358
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	31	787
महाराष्ट्र	लातूर	5	2606
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1698	199440
महाराष्ट्र	मुंबई शहर	2018	381601
महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर	696	24057
महाराष्ट्र	नागपुर	60	1991
महाराष्ट्र	नांदेड	7	95
महाराष्ट्र	नासिक	935	31212
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	24	618
महाराष्ट्र	पालघर	394	8494
महाराष्ट्र	परभनी	44	1116
महाराष्ट्र	पुणे	3425	186977
महाराष्ट्र	रायगढ़	475	11643
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	120	2247
महाराष्ट्र	सांगली	140	2461
महाराष्ट्र	सतारा	231	5463
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	20	742
महाराष्ट्र	सोलापुर	257	4838
महाराष्ट्र	ठाणे	2658	141661
महाराष्ट्र	वर्धा	60	2058
महाराष्ट्र	वाशिम	4	73
महाराष्ट्र	यवतमाल	44	1570
योग		**15795**	**1089541**

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1188

(जिसका उत्तर शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थी

1188. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितनी सहायता राशि (स्वीकृत और प्राप्त की गई) प्रदान की गई तथा आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत सम्पूर्ण कुल कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की राज्य-वार सूची क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी सहायता राशि (स्वीकृत और प्राप्त की गई) प्रदान की तथा कुल कितनी सहायता प्रदान की गई?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख): देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई नए योजना/कार्यक्रम/नीतिगत उपायों की घोषणा की गई और मंत्रालयों/कार्यक्रम/विभाग का इन योजनाओं/कार्यक्रमों को निरूपित करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रवासियों को दो महीने की मुफ्त खाद्य अन्न एवं दाल की आपूर्ति की सुविधा और एमएसएमई से संबंधित योजनाएं अर्थात आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत लाभार्थी उन्मुख योजना है। योजना के तहत उठाए गए लाभ का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I पर है। इसके अलावा, 01.06.2020 को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की भी घोषणा की गई है। 24.03.2020 को या उससे पहले शहरी इलाके में बिक्री करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 12 मासिक किश्तों में चुकाने योग्य 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने हेतु 10.09.2020 तक 3.68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मंजूर किया गया, जिसमें से 99,000 लाभार्थियों को ऋण बांटा जा चुका है।

(ग) से (घ): सरकार ने कोराना वायरस के खिलाफ युद्ध में उनकी सहायता के लिए गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रु. की राहत की भी घोषणा की है, हो

सके। 7.09.2020 तक पीएमजीकेवाई के विभिन्न घटकों के तहत पात्र व्यक्तियों को 68,820 करोड़ रु. की नकद अंतरण भी प्रदान किया है। अभी तक एनएफएसए के तहत 75 करोड़ लाभार्थियों को 178.85 लाख एमटी खाद्य अन्न एवं 6.82 एमटी दाल निःशुल्क प्रदान किया है और यह योजना 2020 नवंबर तक जारी रहेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना सहित पीएम गरीब कल्याण पैकेज को मंजूर किया गया एवं उठाए गए लाभ का राज्य/यूटीवार ब्यौरा **अनुबंध-II (क) और (ख)** में है।

****

19.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1188 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संदर्भित विवरण

	ईसीएलजीएस के तहत प्रदत्त ऋणों की राज्यवार ब्यौरा (16.09.2020 के अनुसार)		आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) योजना के तहत राज्य/यूटी को खाद्य अन्न की आपूर्ति (एमटी में) (07.09.2020 के अनुसार)		आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) योजना के तहत राज्य/यूटी को चने की आपूर्ति (एमटी में) (07.09.2020 के अनुसार)	
	राज्य/यूटी	दी गई राशि (करोड़ रुपए में)	राज्य/यूटी द्वारा कुल आबंटन (मई से अगस्त, 2020)	लाभार्थी (जून 2020)^*	राज्य/यूटी द्वारा कुल आबंटन	लाभार्थी
1.	अंडमान और निकोबार	70.80	58	4,760	8.55	8554
2.	आंध्र प्रदेश	4741.94	7	810	0.00	0
3.	अरुणांचल प्रदेश	38.54	583	5,616	33.73	33730
4.	असम	1253.51	15712	13,98,000	637.95	637953
5.	बिहार	1990.15	86450	86,44,972	3151.00	3151000
6.	चंडीगढ़	479.76	90	8,968	7.06	7056
7.	छत्तीसगढ़	1951.89	1258	1,26,950	169.57	169573
8.	दादरा और नागर हवेली	102.93	164	16,220	11.70	11700
9.	दमन और द्वीप	83.31				
10.	दिल्ली	6381.74	4544	3,29,077	351.10	351100
11.	गोवा	357.52	17	1,683	1.60	1600
12.	गुजरात	12005.92	266	43,316	19.00	19000
13.	हरियाणा	5834.02	7888	8,40,660	465.06	465060
14.	हिमाचल प्रदेश	912.61	1705	1,70,500	111.70	111700
15.	जम्मू और कश्मीर	1597.88	1900	1,72,400	131.08	131080
16.	झारखंड	1511.67	717	82,224	1057.91	1057905
17.	कर्नाटक	7249.99	11613	18,32,432	2055.38	2055380
18.	केरल	4886.81	960	95,985	186.03	186030
19.	लद्दाख	27.14	33	3,274	0.00	0
20.	लक्षद्वीप	1.62	14	1,394	4.53	4530
21.	मध्य प्रदेश	4564.56	1774	1,65,178	157.50	157500
22.	महाराष्ट्र	14364.30	17294	8,98,200	759.12	759120

23.	मणिपुर	70.01	676	67,600	82.35	82348
24.	मेघालय	81.36	2099	1,49,800	81.73	81734
25.	मिजोरम	34.80	236	19,900	29.75	29750
26.	नागालैंड	45.68	1405	74,670	56.00	56000
27.	ओडिशा	2345.10	390	20,000	15.13	15130
28.	पुदुचेरी	212.39	73	7,340	15.00	15000
29.	पंजाब	4931.37	7193	7,19,300	980.00	980000
30.	राजस्थान	7490.01	42478	42,47,800	2003.00	2003000
31.	सिक्किम	46.64	315	15,798	10.03	10031
32.	तमिलनाडु	12445.58	2480	30,000	34.00	34000
33.	तेलंगाना	5114.29	177	17,213	34.46	34460
34.	त्रिपुरा	137.23	277	13,368	20.73	20730
35.	उत्तर प्रदेश	8907.38	11809	7,59,106	1057.95	1057953
36.	उत्तराखंड	1366.28	156	11,665	30.90	30900
37.	पश्चिम बंगाल	5899.95	43354	39,30,856	2646.76	2646760
	कुल	**119536.68**	**266164.053**	**24927034.8^***	**16417.37**	**16417367**

^* इसमें कवर किए गए लोगों की संख्या प्रत्येक माह में एक ही है। मई से अगस्त, 2020 के बीच जून में सबसे ज्यादा लोगों को कवर किया गया। इसलिए इसको लिया गया है।

19.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न नं.1188 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

		कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	लाभार्थियों को खाद्यान्न का कुल वितरण (मीट्रिक में) अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	दलहन- एनएफएसए के तहत पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाख में) - प्रति माह वितरण के लिए (अप्रैल से नवंबर 2020)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (मीट्रिक टन में) द्वारा वितरित दलहन की मात्रा-अप्रैल 2020 से 7.9.2020 तक	वितरित किए गए सिलेंडर की संख्या - पीएमयूवाई अप्रैल से अगस्त, 2020
संख्या	राज्य	दावा खारिज कर दिया	कुल (एएवाई एंड पीएचएच)				
1.	अंडमान और निकोवार		0.61	1342	0.16	49.05	20,769
2.	आंध्र प्रदेश	4	268.23	635928.54	90.28	45018.62	7,33,230
3.	अरुणांचल प्रदेश	1	8.21	17215.42	1.77	571.561	65,998
4.	असम	2	251.53	506098.035	57.96	19614.09	42,61 952
5.	बिहार	1	857.12	1727839.033	168.85	54228.87	1,44,39,342
6.	चंडीगढ़		2.75	3793.04	0.64	228.43	246
7.	छत्तीसगढ़	1	200.77	506390.755	51.5	22616.74	31,71,197
8.	दादरा और नागर हवेली, दमन और		1.73- डी & एनएच- काइंड 0.36 – डी& एनएच-केश	6312.902	0.65	391.44	22,600

	द्वीप		दमन और द्वीप- 0.76				
9.	दिल्ली	1	72.73	166963.0656	17.54	6033.64	1,94, 869
10.	गोवा		5.32	13011.507	1.43	644.103	2,024
11.	गुजरात	8	382.54	801111.37	65.63	20090.95	44,31,673
12.	हरियाणा		126.49	285128.669	27	10916	14,90,015
13.	हिमाचल प्रदेश		28.64	63592.905	6.84	3276.5	2,85,947
14.	जम्मू और कश्मीर		72.05	169195.6	16.45	8984.09	18,36,471
15.	झारखंड		263.70	515408.688	57.12	24040.22	47,15,844
16.	कर्नाटक	3	401.93	977417.15	127.23	38168.19	54,48,255
17.	केरल	3	154.80	366701.602	37.38	12609.49	4,78,410
18.	लद्दाख		1.44	2505	0.29	87.65	17.039
19.	लक्षद्वीप		0.22	453.12	0.05156	20.18	460
20.	मध्य प्रदेश	1	546.42	1062037.658	116.85	42791.4	98,07,942
21.	महाराष्ट्र	13	700.17	1535041.139	167.05	40024.13	73,24,831
22.	मणिपुर		24.57	61346.86	5.88	2131.416	2,51,990
23.	मेघालय		21.46	51401	4.22	1722.802	1,47,750
24.	मिजोरम		6.68	15351.881	1.55	807.261	51,690
25.	नागालैंड		14.05	33585.086	2.85	1660.849	75,654
26.	ओडिशा		323.60	748141.347	92.85	40335.4	77,26,387
27.	पुदुचेरी		6.28	9142.06	1.79	535.5	30, 613
28.	पंजाब	1	141.45	199011.3	35.96	10643.24	24,33,890
29.	राजस्थान	4	446.62	1159894.144	111.85	36331.41	1,01,62,602
30.	सिक्किम		3.79	6852.625	0.94	317.964	21,055
31.	तमिलनाडु	4	357.34	829049.154	111.08	33323.76	58,28,658
32.	तेलंगाना	2	191.62	481824.113	53.29	14144.38	17,65,085
33.	त्रिपुरा		24.83	62051.427	9.2	1942.245	3,79,414
34.	उत्तर प्रदेश	5	1520.59	3498398.415	352.45	139634.3	2,58,12,057
35.	उत्तराखंड		61.96	145939.01	13.46	5544.27	7,29,948
36.	पश्चिम बंगाल	3	601.84	1219345.34	145.29	42058	1,65,21,610
	TOTAL	57	**8095.19**	17884820.96	**1,955**	681538.2	**13,06,87,807**

अनुबंध-II (ख)

19.09.2020 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.1188 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

		पीएम किसान		पीएमजेडीवाई				कार्यक्रम एनएसएपी		भवन एवं निर्माण निधि बीओसीडब्ल्यू			ईपीएफओ आहरण		ईपीएफ योगदान 24 प्रतिशत						डीएमएफ
सं.	राज्य	लाभार्थियों की सं.	राशि (लाख रु. में)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (अप्रैल)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (मई)	खातों की सं. जिसमें 500 रु. डाले गए (जून)	अप्रैल से जून तक कुल हस्तांतरित राशि	कुल लाभार्थियों की सं. अप्रैल और मई	500 रु. की दी गई राशि (लाख में, अप्रैल और मई)	पहचाने गए लाभार्थी (पहली किस्त)	पहचाने गए लाभार्थी (दूसरी किस्त)	कुल राशि (लाख में)	लाभार्थी	राशि (लाख में)	लाभार्थी (मार्च)	लाभार्थी (अप्रैल)	लाभार्थी (मई)	लाभार्थी (जून)	लाभार्थी जुलाई	लाभार्थी (अगस्त)	कुल अंतरित राशि लाख में मार्च से अगस्त	कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों पर व्यय राशि (करोड़ में)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10677	213.54	23064	29457	29449	409.85	5928	59.28	11014	5375	491.67	484	161.77281	1841	1749	1643	1488	913	90	159.97	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	4695820	93916.4	6013565	7191392	7190292	101976.245	932661	9326.61	1967484	0	19674.84	108567	30485.43907	153300	158283	151372	146792	133535	7318	11325.18	100.43
3.	अरूणाचल प्रदेश	66323	1326.46	180119	187968	187888	2779.875	34139	341.39	3000	0	60		0							0.00	-
4.	असम	1861715	37234.3	9534385	9649421	9648441	144161.235	840984	8409.84	270000	0	2700	11203	2777.23109	7160	7499	7370	6763	5619	477	510.57	0.65
5.	बिहार	5899824	117996.48	23315732	24380254	24372302	360341.44	3664811	36648.11	0	0	0	40567	7602.82911	52951	54805	53798	51197	44947	2333	3993.25	0
6.	चंडीगढ़	429	8.58	110537	111245	111152	2664.67	3415	34.15	6670	0	400.2	39886	8932.31454	23322	20897	22073	21409	20084	1182	1892.67	-
7.	छत्तीसगढ़	2167441	43348.82	7857012	8062757	8062722	110912.455	852275	8522.75	0	0	0	46119	8660.04503	76268	78444	75723	72665	68033	3206	5995.94	4.36
8.	दादरा एवं नागर हवेली	10150	203	52817	53691	53681	800.945	9588	95.88	0	0	0		0							0.00	
9.	दमन एवं दीव	3381	67.62	17387	17475	17473	261.675	1376	13.76	0	0	0		0							0.00	-
10.	दिल्ली	12075	241.5	2030271	2036383	2036535	30515.945	156436	1564.36	39600	39600	3960	295243	73596.16266	39830	36793	36868	34673	30943	1233	3530.06	-
11.	गोवा	7854	157.08	69987	70389	70365	1053.705	2061	20.61	5117	0	307.02	12169	3107.29107	17876	15988	15259	14491	13792	381	1318.55	22
12.	गुजरात	4685062	93701.24	7108005	7266513	7265305	108199.115	688953	6889.53	483196	0	4831.96	185208	37273.44252	243172	251261	244516	242384	230145	22558	18731.51	13.08
13.	हरियाणा	1514497	30289.94	3416299	3568702	3566923	52759.62	327269	3272.69	350621	0	17531.05	209604	53039.97756	76918	64925	70265	67210	63189	2943	5957.47	0
14.	हिमाचल प्रदेश	870609	17412.18	584184	667491	667262	9594.685	111863	1118.63	120265	126039	4926.08	17216	3507.58231	43424	41484	42402	42550	40546	1477	3308.08	0.43
15.	जम्मू एण्ड कश्मीर	920451	18409.02	1049256	1064015	1062263	15877.67	143289	1432.89	155975	0	4679.25	187	17.82763	28836	21959	21844	21586	19224	2594	1742.92	-
			0				0	(लद्दाख का सम्मिलित करते हुए						0							0.00	-
16.	झारखंड	1231912	24638.24	7227042	7440551	7437612	110526.025	1288850	12888.5	0	0	0	29000	5142.64934	87786	86091	83575	83130	78118	4699	7158.94	9.66
17.	कर्नाटक	4839093	96781.86	7987088	8035479	8033726	120281.465	1398410	13984.1	1362438	0	68121.9	452484	153845.1508	281634	273165	265267	257403	232202	12724	24206.08	62.13
18.	केरल	2716844	54336.88	2413289	2607463	2606513	38136.325	688329	6883.29	454124	0	4541.24	101119	31103.7267	110118	91211	99799	104292	98891	1920	8671.58	0
19.	लद्दाख	0	0	9951	10027	10392	151.85	जम्मू कश्मीर में सम्मिलित है।		जम्मू कश्मीर में सम्मिलित है।	जम्मू कश्मीर में सम्मिलित है।	0	16	1.75331	177	143	146	114	105	0	17.89	-
20.	लक्षदीप	0	0	2867	2922	2920	43.545	324	3.24	520	0	32.76		0							0.00	-
21.	मध्य प्रदेश	6812020	136240.4	16622091	16786519	16783417	250960.135	2205963	22059.63	891850	0	17837	90993	18149.30407	158162	144857	134320	135658	129638	7365	10511.56	5.1
22.	महाराष्ट्र	8632718	172654.36	12947062	13152844	13151473	196256.895	1168385	11683.85	894408	0	17888.16	667817	187350.5145	418770	404866	380529	372293	346133	16493	31148.58	45.86
23.	मणिपुर	283457	5669.14	504169	523814	523622	7758.025	61972	619.72	52605	0	526.05		0							0.00	-
24.	मेघालय	115638	2312.76	268908	318894	318797	4532.995	54127	541.27	24730	0	1236.5		0	50025	54058	52551	49333	45249	5711	3315.59	-
25.	मिजोरम	69425	1388.5	58176	153791	153756	1828.615	27538	275.38	51451	0	1543.53		0							0.00	-
26.	नागालैंड	181008	3620.16	157792	167255	167204	2461.255	49210	492.1	19046	0	380.92		0							0.00	-
27.	उड़ीसा	2003185	40063.7	8121020	8520484	8518976	125802.4	2027022	20270.22	2083288	0	31249.32	40666	8771.32209	129713	133169	132889	130113	120833	6775	9822.89	61.34
28.	पुदुचेरी	9715	194.3	83926	88559	88506	1304.955	28757	287.57	0	0	0	0	0	16110	13895	14074	14095	13358	632	950.29	-
29.	पंजाब	1752498	35049.96	3322188	3375108	3373363	50353.285	140404	1404.04	289237	0	17354.22	49472	9665.65577	66008	55952	63477	60461	55427	5106	4779.19	0.65
30.	राजस्थान	5164391	103287.82	15613962	15849421	15845503	236544.43	987781	9877.81	2230000	0	55750	83903	15761.45431	120047	113479	111154	108908	101109	6315	7649.36	15.08
31.	सिक्किम	0	0	42552	43915	43908	651.875	18332	183.32	7836	0	156.72		0							0.00	
32.	तमिलनाडु	3559533	71190.66	6075989	6138375	6136949	91756.565	1814700	18147	1370601	0	27412.02	583161	158265.1997	507424	458395	476308	471998	442011	23263	32325.05	13.42
33.	तेलंगाना	3331468	66629.36	5260800	5154930	5153020	77843.75	665956	6659.56	830324	0	12454.86	241181	77656.90355	156123	156685	152357	148451	136995	6883	10159.07	0
34.	त्रिपुरा	190441	3808.82	431770	444368	444316	6602.27	138473	1384.73	39082	0	1172.46	1137	285.8338							0.00	-
35.	उत्तर प्रदेश	17675849	353516.98	31813530	32440630	32431427	483427.935	5257390	52573.9	1821520	1695490	35170.1	164511	33390.63687	190548	188671	189660	187867	177736	12618	14786.99	0.22
36.	उत्तराखंड	674688	13493.76	1267372	1335177	1335873	19692.11	215109	2151.09	228423	228423	4568.46	46150	7975.9936	38032	36608	36725	36632	34787	1794	2958.71	0.02
37.	पश्चिम बंगाल	0	0	18995377	19349032	19341382	288428.705	2132959	21329.59	2198349	0	21983.49	86684	18083.46987	329406	321645	332165	337058	317556	18739	20675.05	-
	कुल	89454616	1789092.32	206500000	206296711	206244658	3095206.845	28145039	281450.39	18262774	2054927	878941.78	3604747	954311.4937	3419971	3286977	3268129	3221014	3001118	176829	247602.98	354.42

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1192
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोजगार स्तर में वृद्धि करने के लिए नीति

1192. श्री जगदम्बिका पालः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् से शहरों में रोजगार स्तर में वृद्धि करने के लिए कोई नीति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने असंगठित शहरी क्षेत्रों के कामगारों को सहायता या रोजगार प्रदान करने के लिए नीति बनाई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने एवं कामगारों की सहायता करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के माध्यम से कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए अनेक पहले की हैं। आत्मनिर्भर भारत युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, उत्साहवर्धक जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है। । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन को सुगम बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप आरंभ की गई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों जिनके 90% कर्मचारी, 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाने एवं रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता डालने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

नियोजनीयता में सुधार एवं रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में (शहरों एवं असगंठित शहरी क्षेत्रों के कामगारों सहित) रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएमईजीपी, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता और सुमेघता को कम करना है, ताकि उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने में समर्थ बनाया जा सके ताकि स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार किया जा सके।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1199

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

भविष्य निधि के लाभ

1199. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान नहीं करतीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित सभी राज्यों में ऐसी कितनी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के आधार पर उन कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिन्होंने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के रूपये भेजे नहीं हैं। तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के दौरान ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत शुरू की गई जांच और उनके निपटान का राज्य-वार विवरण अनुबंध क, ख और ग में है।

*** ******

अनुबंध क

भविष्य निधि के लाभों से संबंधित श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा दिनांक 19.09.2020 के पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

2016-17 के दौरान अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत आकलन संबंधी मामलों का आरंभ और निपटान।							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**01.04.2016 तक निपटाए गए मामले**	**वर्ष के दौरान शुरू किए गए मामले**	**कुल कार्यभार**	**अंतिम आदेश लागू करके निपटाए गए मामले**	**प्रतिशत में निपटान**	**दिनांक 31.03.2017 तक लंबित मामले**
1	आंध्र प्रदेश	594	401	995	540	54.27	455
2	असम	424	81	505	234	46.34	271
3	बिहार	848	74	922	45	4.88	877
4	चंडीगढ़	918	1192	2110	1013	48.01	1097
5	छत्तीसगढ़	366	295	661	218	32.98	443
6	दिल्ली	685	370	1055	216	20.47	839
7	गुजरात	1603	610	2213	522	23.59	1691
8	हरियाणा	625	507	1132	516	45.58	616
9	हिमाचल प्रदेश	290	143	433	180	41.57	253
10	झारखंड	409	329	738	262	35.50	476
11	कर्नाटक	1035	1920	2955	1320	44.67	1635
12	केरल	578	1034	1612	1005	62.34	607
13	मध्य प्रदेश	573	542	1115	469	42.06	646
14	महाराष्ट्र	3054	3061	6115	1832	29.96	4283
15	ओडिशा	354	238	592	306	51.69	286
16	पंजाब	749	1868	2617	1283	49.03	1334
17	राजस्थान	494	545	1039	329	31.67	710
18	तमिलनाडु	1829	2016	3845	2024	52.64	1821
19	तेलंगाना	2127	1035	3162	1054	33.33	2108
20	उत्तर प्रदेश	2275	1041	3316	1139	34.35	2177
21	पश्चिम बंगाल	793	558	1351	692	51.22	659
कुल योग		**20623**	**17860**	**38483**	**15199**	**39.50**	**23284**

अनुबंध ख

भविष्य निधि के लाभों से संबंधित श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 19.09.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

2017-18 के दौरान अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत आकलन संबंधी मामलों का आरंभ और निपटान।							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**01.04.2017 तक निपटाए गए मामले**	**वर्ष के दौरान शुरू किए गए मामले**	**कुल कार्यभार**	**अंतिम आदेश लागू करके निपटाए गए मामले**	**प्रतिशत में निपटान**	**दिनांक 31.03.2018 तक लंबित मामले**
1	आंध्र प्रदेश	455	129	584	368	63.01	216
2	असम	229	20	249	131	52.61	118
3	बिहार	780	84	864	82	9.49	782
4	चंडीगढ़	630	229	859	271	31.55	588
5	छत्तीसगढ़	443	1389	1832	951	51.91	881
6	दिल्ली	1124	123	1247	313	25.10	934
7	गोवा	123	44	167	65	38.92	102
8	गुजरात	1677	525	2202	774	35.15	1428
9	हरियाणा	617	167	784	387	49.36	397
10	हिमाचल प्रदेश	253	77	330	238	72.12	92
11	झारखंड	476	174	650	243	37.38	407
12	कर्नाटक	1377	1466	2843	1432	50.37	1411
13	केरल	420	509	929	590	63.51	339
14	मध्य प्रदेश	646	388	1034	383	37.04	651
15	महाराष्ट्र	4631	641	5272	1615	30.63	3657
16	मेघालय	16	8	24	8	33.33	16
17	ओडिशा	286	60	346	158	45.66	188
18	पुडुचेरी	57	90	147	65	44.22	82
19	पंजाब	1801	871	2672	1485	55.58	1187
20	राजस्थान	710	202	912	300	32.89	612
21	तमिलनाडु	1763	1213	2976	1411	47.41	1565
22	तेलंगाना	1996	198	2194	547	24.93	1647
23	त्रिपुरा	26	21	47	31	65.96	16
24	उत्तर प्रदेश	1923	615	2538	791	31.17	1747
25	उत्तराखंड	215	24	239	34	14.23	205
26	पश्चिम बंगाल	681	345	1026	427	41.62	599
कुल योग		**23355**	**9612**	**32967**	**13100**	**39.74**	**19867**

अनुबंध ग

भविष्य निधि के लाभों से संबंधित श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 19.09.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

2018-19 के दौरान अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत आकलन संबंधी मामलों का आरंभ और निपटान।							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**01.04.2018 तक निपटाए गए मामले**	**वर्ष के दौरान शुरू किए गए मामले**	**कुल कार्यभार**	**अंतिम आदेश लागू करके निपटाए गए मामले**	**प्रतिशत में निपटान**	**दिनांक 31.03.2019 तक लंबित मामले**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	27	25	52	8	15.38	44
2	आंध्र प्रदेश	216	156	372	210	56.45	162
3	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड	118	16	134	76	56.72	58
4	बिहार	783	93	876	164	18.72	712
5	छत्तीसगढ़	881	192	1073	620	57.78	453
6	दिल्ली	653	491	1144	501	43.79	643
7	गोवा	102	10	112	42	37.50	70
8	गुजरात, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	1427	658	2085	768	36.83	1317
9	हरियाणा	396	330	726	240	33.06	486
10	हिमाचल प्रदेश	92	95	187	103	55.08	84
11	झारखंड	406	295	701	308	43.94	393
12	कर्नाटक	1407	1156	2563	1575	61.45	988
13	केरल और लक्षद्वीप	339	786	1125	847	75.29	278
14	मध्य प्रदेश	651	703	1354	540	39.88	814
15	महाराष्ट्र	3297	848	4145	1241	29.94	2904
16	मेघालय और मिजोरम	16	28	44	22	50.00	22
17	ओडिशा	188	94	282	154	54.61	128
18	पुडुचेरी	82	70	152	69	45.39	83
19	पंजाब और चंडीगढ़	1776	1064	2840	1497	52.71	1343
20	राजस्थान	612	194	806	317	39.33	489
21	तमिलनाडु	1565	4018	5583	2379	42.61	3204
22	तेलंगाना	1646	803	2449	1051	42.92	1398
23	त्रिपुरा	16	4	20	12	60.00	8
24	उत्तर प्रदेश	1974	949	2923	1026	35.10	1897
25	उत्तराखंड	157	42	199	57	28.64	142
26	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	537	558	1095	478	43.65	617
कुल योग		**19364**	**13678**	**33042**	**14305**	**43.29**	**18737**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1213
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के अन्तर्गत नौकरियां

1213. सुश्री दिया कुमारीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत राजस्थान में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की गई हैं; और
(ख) कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राजस्थान में मानव दिवस में सृजित रोजगार की कुल संख्या 11,13,43,237 रुपए है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्वभर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा प्रवासी कामगारों की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, उत्साहवर्धक जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज शामिल है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 20 जून, 2020 को एक 125-दिवसीय अभियान, गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया गया है, जिसे कोविड -19 महामारी से प्रभावित लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण आबादी के मुद्दों के समाधान के लिए जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने की रणनीति, सार्वजनिक अवसंरचना से गाँवों को संतृप्त करने और आजीविका परिसंपत्तियों का सृजन आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे बहुस्तरीय माध्यम से शुरू किया गया है तथा इसमें 6 राज्यों के 116 चुनिंदा जिलों में 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवर्त के साथ 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक आजीविका को बढावा देना शामिल है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1242

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

भारतीय कार्यबल के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

1242. डॉ. शशि थरूर:

श्री एंटो एंटोनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईएलओ की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट में अनौपचारिक क्षेत्र में भारत के 500 मिलियन कार्यबल में से 90 प्रतिशत की नौकरी चली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है और इस संकट को कम करने के लिए नीतियां तैयार की हैं क्योंकि बेरोजगारी में वृद्धि काफी हद तक नीतिगत उपायों पर निर्भर करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें बताया गया है कि 40 करोड़ भारतीय लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): "आईएलओ मॉनिटर : कोविड-19 तथा कार्यजगत- द्वितीय संस्करण - अद्यतन अनुमान एवं विश्लेषण" (दिनांक 07 अप्रैल, 2020) नामक आईएलओ रिपोर्ट आईएलओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भारत के कार्यबल पर कोविड - 19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर भारत के भाग के रूप में कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारत सरकार द्वारा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों, जिनमें 100 तक कर्मचारी कार्यरत हैं और ऐसे कर्मचारियों में से 90% कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000/- रूपये से कम है, के लिए

मार्च से अगस्त, 2020 तक छ: वेतन माहों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% अंशदान अर्थात कुल 24% अंशदान का भुगतान;

(ii) मई, जून और जुलाई, 2020 के वेतन माहों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान को वेतन के 12% से घटाकर 10% करना ;

(iii) ईपीएफ योजना, 1952 में संशोधन करके भविष्य निधि से कोविड अग्रिम जिसे वापस नहीं किया जाना है; आदिनांक, ईपीएफओ के सदस्यों द्वारा लगभग 39,000/- करोड़ रुपये की निकासी की गई है;

(iv) विवरणियां फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाना;

(v) कामगारों/कर्मचारियों के परेशानी में होने संबंधी कॉलों को तत्परतापूर्वक सुनने और उन्हें अस्थायी आश्रय गृहों में जाने हेतु मार्गदर्शन करने के लिए भी परामर्शिका जारी करना;

(vi) भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) उपकर निधि का कोविड - 19 के प्रकोप के कारण प्रभावित सन्निर्माण कामगारों के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि अंतरित करने के लिए उपयोग करना;

(vii) कामगारों को बर्खास्त न करने और उनका वेतन नहीं काटने के लिए नियोक्ताओं को परामर्श देना।

(viii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार खो चुके बीमित कामगारों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ-साथ बेरोजगारी लाभ को औसत आय, 90 दिनों तक के लिए देय, के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वर्धित लाभ 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक लागू है।

सरकार ने स्थानीय स्तरों पर नौकरियों के सृजन तथा आत्मनिर्भर भारत एवं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से प्रवासी कामगारों की सहायता के लिए पहलें की हैं। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, पद्धति, जीवंत जनसांख्यिकी तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन की मांग पर आधारित है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन से रोजगार उपलब्ध कराना और अवसंरचना का सृजन करने हेतु 25 लक्ष्योन्मुखी कार्यों को गहन और संकेन्द्रित रूप से कार्यान्वित करना शामिल है जिसे 125 दिनों में मिशन मोड अभियान के रूप में कार्यान्वित करना है।

सरकार ने 50 लाख फेरीवालों को अपनी बंद हुए व्यवसायों को पुन: शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रुपये तक के कोलाट्रल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना भी आरम्भ की है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करने हेतु अर्थव्यवस्था में तरलता लाने के लिए भी विभिन्न उपाय किए हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1253

शनिवार 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

अकुशल और कुशल प्रवासी मजदूरों का कल्याण

1253. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अकुशल और कुशल प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू/कार्यान्वित की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में स्वीकृत/जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोविड-19 के आलोक में कार्य-स्थलों पर श्रमिकों की स्थिति के बारे में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है या करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(ङ) श्रमिकों के कार्य स्थलों पर कोविड-19 से उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित उनकी समग्र स्थितियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): सरकार ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं।

लगभग 1.83 करोड़ भवन और अन्य सन्निर्माण (बीओसी) कामगारों को उपकर नि धि से नकद सहायता दी गई है। राज्य वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने किफायती किराए पर आवासीय परिसरों (एआरएचसी) की एक योजना शुरू की है जो शहरी प्रवासियों /गरीबों के लिए जीवंत, स्थायी एवं समावेशी रूप से किफायती किराए पर आवासीय स्थलों का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत एक उप-योजना है।

एआरएचसी के लाभार्थी औद्योगिक कामगारों, बाजार/ व्यापार संघों,शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में कार्यरत प्रवासियों, लंबी अवधि तक रहने वाले पर्यटकों/आगंतुकों, छात्रों आदि सहित आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लयूएस) /निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी से होंगे।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख फेरी वालों को अपना व्यवसाय दुबारा शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि तक के लिए 10,000/-रुपये तक का कोलाट्रल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण शुलभ कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को नवम्बर, 2020 तक प्रत्येक माह अतिरिक्त 5 किलो गेहू या चावल और पंसद की एक किलो दाल नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण के लिए चल रहे कार्यों/नए कार्यों की पहचान की है। इस्पात मंत्रालय ने खाने के पैकेट और चेहरे के मास्क, मिल्क पाउडर आदि प्रदान कर प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को सहायता की है।

इसके अतिरिक्त 30 लाख बीओसी कामगारों को उपकर निधि से खाद्य पैकेज राहत भी दी गई है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण गांव को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने हेतु भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। यह अभियान टिकाऊ अवसंरचना और गांव मे इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाए उलब्ध कराने पर बल देता है। ग्रामीण प्रवासी मजदूरों की कौशल मैपिंग की जा रही है ताकि उन्हें घर के निकट कार्य मिलने में सहायता की जा सके। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन क्षत्र से 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और अवसंरचना का सृजन करने के लिए 25 लक्ष्योन्मुखी कार्यों का गहन और संकेन्द्रित कार्यान्वयन शामिल है।

केन्द्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने गंतव्य राज्यों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 27.07.2020 को विस्तृत परामर्शी दिशा-निर्देश जारी किया हैं।

अनुबंध - I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1253 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

कोविड-19 के दौरान बीओसी कामगारों को उपलब्ध कराई गई नकद राहत की राज्य-वार स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता प्रदान किए गए कुल बीओसी डब्ल्यू कामगारों की कुल संख्या	संवितरित की गई कुल राशि (लाख रूपये में)	अन्य मदों जैसे भोजन, राशन किट, आश्रय आदि पर व्यय (लाख रुपये)
1	आंध्र प्रदेश	1967484	19674.84	
2	अरुणाचल प्रदेश	3000	60	
3	असम	270000	2700	
4	बिहार	0	0	भोजन पैकेज एवं अन्य गैर नकद सहायता
5	छत्तीसगढ़	0	0	भोजन पैकेज एवं अन्य गैर नकद सहायता
6	गोवा	5117	307.02	
7	गुजरात	483196	4831.96	25000
8	हरियाणा	350621	17531.05	
9	हिमाचल प्रदेश	121281	4946.4	
10	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	155975	4679.25	
11	झारखंड	0	0	5875
12	कर्नाटक	1362438	68121.9	भोजन, राशिन आदि
13	केरल	454124	4541.24	
14	मध्य प्रदेश	891850	17837	
15	महाराष्ट्र	894408	17888.16	
16	मणिपुर	52605	526.05	
17	मेघालय	24730	1236.5	
18	मिजोरम	51451	1543.53	640
19	नगालैंड	19046	380.92	
20	ओडिशा	2083288	31249.32	
21	पंजाब	289237	17354.22	

22	राजस्थान Rajasthan	2230000	55750	
23	सिक्किम	7836	156.72	
24	तमिलनाडु	1370601	27412.02	
25	तेलंगाना	830324	12454.86	88027
26	त्रिपुरा	39082	1172.46	
27	उत्तर प्रदेश	1824911	35384.15	
28	उत्तराखंड	228423	4568.46	1.5 लाख राशन किट वितरित
29	पश्चिम बंगाल	2198349	21983.49	
30	दिल्ली	39600	3960	
31	एक और एन द्वीप	11014	491.67	
32	चंडीगढ़	6670	400.2	
33	दादरा और नगर हवेली	0	0	भोजन, राशन आदि
34	दमन और दीव	0	0	भोजन, राशन आदि
35	लक्षद्वीप	520	32.76	
36	पुडुचेरी	0	0	
		18267181	**379176.15**	**119542**
				498718.15

लाभान्वित होने वाले कुल
बीओसी कामगार **18267181**

संवितरित की गई कुल राशि **4987.18** करोड़

स्रोत:-राज्य बीओसी डब्ल्यू कल्याण बोर्ड से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1288

शनिवार 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

बागान कामगार

1288. श्री राजू बिष्ट:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान चाय और सिनकोना बागान कामगारों को उनकी बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या अपनी भविष्य निधि के हिस्से का भुगतान नहीं करने वाले बागान मालिकों पर मंत्रालय कोई कार्रवाई कर रहा है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बागान कामगारों को बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 द्वारा कवर किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चाय कामगार और सिनकोना कामगारों सहित बागान कामगारों का कल्याण शामिल है।

इन कामगारों को विभिन्न औद्योगिक और सामाजिक सुरक्षा विधानों जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 यथा प्रयोज्य द्वारा भी कवर किया जाता है।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(1) नियोक्ता संघों को एक परामर्शिका जारी की गई थी जिसमें सार्वजनिक/ निजी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को सलाह दी गई थी कि वे अपने कर्मचारियों की छंटनी करने या न उनके वेतन को कम करेंगे।

जारी---2/-

(2) राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान, मजदूरी आदि से संबंधित कामगारों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा देश भर में बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे।

(ख) से (घ): बागान प्रतिष्ठानों सहित ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों के नियोक्ता को अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की आवश्यकता होगी और वेतन महीने के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करना होगा।

ईसीआर दाखिल न करने की स्थिति में, नियोक्ताओं को एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बकाया राशि भेजने के लिए सतर्क किया जाता है और यदि अनुपालन नहीं किया जाता है, तो स्थापना के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए कार्रवाई की जाती है, ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7 क के तहत अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा चूक की राशि का आकलन कर और मूल्यांकन किए गए बकाया की वसूली की जाती है। बकाए के भुगतान में जानबूझ कर की गई चूक के लिए अधिनियम की धारा 14 ख के तहत जुर्माना लगाया जाता है।

चूककर्ता के विरुद्ध पूर्वोक्त कार्रवाई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन तक एक सतत प्रक्रिया है।

कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सुगमता और सुविधा प्रदान करना:

i. नियोक्ताओं को बकाया राशि की सूचना देने के लिए बकाए का भुगतान करने के लिए समयरेखा तय करना और उनके व्यवसाय की बंदी की सूचना प्राप्त करने हेतु ई-निरीक्षण आरंभ किया गया था,
ii. पक्षों को सुनने और कामगारों के बकाए के आकलन में तेजी लाने के लिए माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम और रोज़गार द्वारा धारा 7क और 14ख के तहत अर्ध-न्यायिक मामलों में वर्चुअल सुनवाई की प्रणाली हाल ही में आरंभ किया गया था।

2019-20 के दौरान, धारा 7 क के तहत 7849.51 लाख रुपये का आंकलन किया गया, धारा 14 ख के तहत 265.37 लाख रुपए की उगाही की गई और चाय एवं सिनकोना बागान प्रतिष्ठानों से 8750.99 लाख रुपए वसूले गए ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, चाय बागान के कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर्मचारी के अंशदान का भुगतान न करने के 54 मामलों की शिकायत पुलिस के पास शिकायतें दर्ज की गई।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1291

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा बेरोजगारों से पैसे ऐंठना

1291. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश, विशेषकर महानगरों में विभिन्न एजेंसियां कार्य कर रही हैं जो बेरोजगारों के पंजीकरण के नाम पर या उन्हें रोजगार प्रदान करने का आश्वासन देकर उनसे पैसे ऐंठती हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई करने और उनकी निगरानी करने हेतु कानून बनाने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित करने की सलाह दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों द्वारा यदि कोई शिकायत प्राप्त की जाती है तो इन्हें आईपीसी या अन्य विद्यमान अधिनियमों के तहत निपटाया जाता है जिसके अंतर्गत ऐसे प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं। केंद्रीय सरकार और अनेक राज्य सरकारों ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल शुरू किए है जिससे नौकरी के इच्छुक व्यक्ति नियोक्ताओं से और नियोक्ता नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों से नि:शुल्क संपर्क कर सकें। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों को नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रोजगार एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता कर रही है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1323

शनिवार 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफओ की ब्याज दर

1323. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को कितनी ब्याज दर का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि पर और कम ब्याज दर का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि पर कितनी ब्याज दर प्रदान की जा रही है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को हानि होने की संभावना है; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है जो इस निधि में नियमित रूप से अंशदान दे रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदाताओं को भुगतान किए गए ब्याज की दरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जारी---2/-

वर्ष	वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)
2016-17	8.65
2017-18	8.55
2018-19	8.65

(ख) और (ग): ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 60(4) के अनुसार किसी वित्त वर्ष के लिए आय और देनदारियों के आधार पर ईपीएफ सदस्यों के खातों में ब्याज दर क्रेडिट की जाती है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय बोर्ड, ईपीएफ की 9 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न 227वीं बैठक में ब्याज दर से संबंधित एजेंडा की समीक्षा की गई और बोर्ड ने केन्द्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.50 प्रतिशत की पूर्व की ब्याज दर की सिफारिश की । केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

(घ) और (ङ): ईपीएफ ब्याज दर की घोषणा एक गतिशील प्रक्रिया है जो उस वर्ष विशेष की आय पर निर्भर करती है। ऐसी कोई निर्धारित/मानक ब्याज दर नहीं है जिससे घोषित ब्याज दर से कर्मचारियों को हुए लाभ/हानि की तुलना की जा सके।

***

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1335

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफओ का निवेश

1335. श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ब्याज अर्जित करने के लिए अपनी निधि का विभिन्न कंपनियों में निवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निवेश केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के अनुमोदन से किया जाता है;

(ग) क्या ईपीएफओ द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में कुछ घाटे में चल रही अथवा अवसंरचना परियोजनाओं में हाल में किए गए निवेश की जानकारी सरकार को मिली है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ को इन निवेशों से भारी घाटा होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह निवेश क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों तथा राज्य सरकारों के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया, गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार ने पूर्व में हुए ऐसे घोटालों से कोई सबक नहीं लिया है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हो अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के स्वरूप अनुसार और केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा अनुमोदित ईपीएफओ के आंतरिक दिशा-निर्देशानुसार अपनी धनराशि का निवेश करता है।

(ग) से (ङ): ईपीएफओ की आंतरिक दिशा-निर्देशानुसार ईपीएफओ किसी घाटे में चल रही निजी क्षेत्र कंपनी या अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश नहीं करता है।

(च): ईपीएफ केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के स्वरूप अनुसार अपनी धनराशि का निवेश करता है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1342

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफ पेंशन

1342. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफ पेंशन की दरों को बढ़ाने के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले की सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तीव्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का वेतन पर आधरित उच्च पेंशन संबंधी विकल्प के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को अधीनस्थ कार्यालयों में लागू करने के लिए निदेश जारी किए हो और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या ईपीएफओ केरल उच्च न्यायालय के आदेश से बाध्य है और यदि हां, तो इसे लागू करने में विलंब के क्या कारण हो और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): पूरी मजदूरी पर पेंशन की स्वीकृति के मामले पर क्रमश: यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा विशिष्ट अवकाश याचिका (एसएलपी) (सिविल) संख्या 16721-16722/2019 और समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 1430-1431/2019 प्रस्तुत कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12.07.2019 के आदेश के माध्यम से खुले न्यायालय में उल्लिखित एसएलपी और समीक्षा याचिका की सूची बनाने का निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त, रिट याचिका (के) संख्या 233/2018 (एम. चोकालिंगम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में दिनांक 06.02.2020 के आदेश के तहत माननीय न्यायालय छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा रिट याचिकाओं को पूर्वोक्त एसएलपी और समीक्षा याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

(ख) से (च): यह मामला विचाराधीन है। जैसा की, इस मामले में आगे की कार्रवाई पूर्वोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई है।

*****